भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 60
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 / 30 आषाढ़, 1947 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

60. श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्य सेवाओं को बढ़ाने के अपने प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिनमें अग्रिम दावों के मामले में स्वतः निपटान सीमा को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है ताकि लाखों ईपीएफओ सदस्यों को, विशेष रूप से तत्काल आवश्यकता के समय, शीघ्रातिशीघ्र उनकी धनराशि प्राप्त करने में मदद मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कदम के कार्यान्वयन और उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है, उन पर की गई कार्रवाई, लाभार्थी राज्यों के संबंध में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और केरल राज्यों में, राज्य-वार अब तक प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उक्त कदम को लागू करते समय विभिन्न मुद्दों और अन्य कमियों को दूर करने के लिए क्या समाधान निकाले गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): जी हां, ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को मौजूदा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का निर्णय लिया है, जिससे दावों के तेजी से निपटान में मदद मिलेगी और सदस्यों को लाभ होगा।

ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

*****